राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1.अपील संख्या– 2089/2010/जयपुर
1.अपील संख्या– 2090/2010/जयपुर

मैसर्स पी.एच.आई.सीड्स लि0,
जवाहर नगर, जयपुर .....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर विभाग, वृत–ई, जयपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री विवेक सिंघल,
अधिकृत अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 25.05.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये अपीलें उपायुक्त (अपील्स)चतुर्थ, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा क्रमशः अपील संख्या 28 एवं 27/अपील्स–चतुर्थ/2010–11/ई में पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 26.08.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत–ई, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 10.12.2007 व 14.02.2008, जो राजस्थान विक्रय कर अधिनियम (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की पृथक–पृथक धारा 30,37 व 29 द्वारा कायम की गयी मांग को यथावत रखते हुए, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की गई हैं।

2. दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु एक समान होने एवं एक ही व्यवहारी से संबंधित होने के कारण, इनका निष्पादन एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जावेगी।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी सीड्स एवं ऑयल सीड्स का व्यापार करता है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सीड प्लाण्ट से सरसों का स्टॉक प्राप्त किया है और घोषणा प्रपत्र 18–सी पर सरसों का स्टॉक ट्रांसफर किया किया जाना बताकर सरसों का 4 प्रतिशत से कर वसूल कर विक्रय करना सशक्त अधिकारी के समक्ष बतलाया। अधिक स्टॉक सरसों के बारे में बताया कि रा–सीड्स (सरसों) अलवर,भरतपुर जिलों के काश्तकारों से इनकी जमीन लीज पर लेकर काश्तकारों और मै0 पी.एच.आई. लि0 के मध्य इकरार होकर कम्पनी के लिए काश्तकारों ने सरसों पैदा किया और इसे विकसित करने के लिए हैदराबाद कम्पनी प्लाण्ट में मै0 पी.एच.आई.लि0 जयपुर द्वारा भेज दिया गया। सरसों का डिपों ट्रांसफर का शेष स्टॉक जोड़नें पर अधिक सीड (सरसों) की सीड कम्पनी और काश्तकारों के मध्य रा–सीड्स उत्पादन का समझौता हुआ जिसमें प्रति एकड़ कृषि भूमि रू0 2000/– है। सशक्त अधिकारी ने इसे सही नहीं माना और अनुबन्ध पत्र काश्तकार/कम्पनी के अतिरिक्त कोई गवाह सबूत जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी, उत्पादन के संबंध में राजस्व अधिकारियों का प्रमाण पत्र भी अपीलार्थी द्वारा पेश नहीं किये। इस कारण सशक्त अधिकारी ने इसे

लगातार.....2

अपवंचन मानते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध आलौच्य अवधियों में कर, सरचार्ज व ब्याज का आरोपण किया। सशक्त अधिकारी के उक्त पृथक–पृथक आदेशों के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष, अपीलें प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी के पृथक–पृथक आदेशों के द्वारा अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार कर दी गयी। अपीलीय अधिकारी के उक्त पृथक–पृथक आदेशों के विरूद्ध, अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें कर बोर्ड के समक्ष पेश की गई हैं जिनका विवरण निम्नानुसार सारणी में दर्शाया गया है:–

अपील सं0	क.नि.वर्ष	क.नि.आदेश	कर	सरचार्ज	ब्याज
2089/2010	2000–01	10.12.2007	1,03,221/–	15,483/–	1,39,477/–
2090/2010	2005–06	14.02.2008	1,,44,288/–	–	46,172/–

4. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी ने राजस्थान राज्य से किसानों से अथवा अपंजीकृत व्यवहारियों से कोई सरसों की खरीद नहीं की है और न ही ऐसे माल का कोई स्टॉक ट्रांसफर किया है। स्टॉक ट्रांसफर जो अधिक दर्शाया गया है वह स्वयं कम्पनी का उत्पादित माल था जो कि करयोग्य नहीं है। अग्रिम कथन किया कि धारा 30 में पारित आदेश अविधिक है इसमें एस्केप्ड टर्नओवर पर तो कर निर्धारण हो सकता है क्योंकि सशक्त अधिकारी ने अपीलार्थी कम्पनी की स्वयं की पैदावार को खरीद मानकर उस पर लोकल सेल घोषित की थी। अपीलार्थी ने किस्म वाईज खेती की पैदावार की आवक सशक्त अधिकारी को पेश की थी। अपीलार्थी द्वारा कोई बिक्री नहीं छिपाई गई। अपीलार्थी ने हाईब्रिडसीड पर काम करने का प्रोसेस, सीड टैक्नोंलोजी सिस्टम, पैदावार किस्म वाईज खेत की, लीज एग्रीमेंट जमीन का जो किसानों से किया गया, प्लाटिंग रिपोर्ट जो किसानों की लीज पर ली गई जमीन में बुवाई का विवरण, शपथ पत्र तथा किसानों के शपथ पत्र आदि दस्तावेज सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे। उनका निवेदन था कि अतः सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त करते हुए, अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार की जावे एवं आरोपित मांग को अपास्त किया जावे।

5. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया किया।

6. उभयपक्षीय बहस सुनी गई, पत्रावलियों पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी ने किसानों से जमीन किराये पर लेकर सरसों का उत्पादन प्राप्त करके हैदराबाद अपीलार्थी–कम्पनी के प्लान्ट पर आगे प्रोसेस के लिए भेजा है, सही नहीं है क्योंकि किसानों की जमीन किराये पर लेकर कौनसा माल बोया गया व बीज कहां से आया, सरसों का उत्पादन कितना हुआ तथा किसानों को एग्रीमेंट के पेटे भुगतान किस प्रकार किया आदि तथ्यों से संबंधित कोई प्रमाण सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये। यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा एस.टी.5–ए में किसानों की किराये से तथाकथित ली गई जमीन से प्राप्त उपज सरसों की घोषणा भी विधिवत रूप से नहीं की है। अपीलार्थी व्यवहारी ने उक्त उपज को अपनी हिसाबी बहियात से सत्यापित भी नहीं करवाया है।

लगातार.....3

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान दिये गये तर्क निराधार है क्योंकि उनके द्वारा दिये गये तर्क दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में सत्यता से परे है। सशक्त अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी के स्वयं का उत्पादन नहीं होना निर्धारित करके इसे राज्य में अपंजीकृत खरीद प्रमाणित पाये जाने पर आलौच्य अवधियों में उक्त माल पर कर, सरचार्ज एवं ब्याज का जो अपीलार्थी के विरूद्ध आरोपण किया हैं वह उचित प्रतीत होता है। अपीलीय अधिकारी ने भी उक्त करारोपण को उचित मानते हुए, अपीलार्थी के विरूद्ध आरोपित कर, सरचार्ज एवं ब्याज को यथावत रखने में किसी प्रकार की भूल नहीं की है। अतः आरोपित मांग यथावत रखने योग्य है।

6. फलतः अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती है। एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 26.08.2010 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष